खनन पट्टों में गैर-खनिज क्षेत्रों को शामिल करना

प्रिलिम्स के लिये:

खनन पट्टे, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, सर्वोच्च न्यायालय, अपशिष्ट प्रबंधन, भारतीय खान ब्यूरो (IBM), अवैध खनिज निष्कर्षण, ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023, महत्त्वपूर्ण खनिज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन।

मेन्स के लिये:

भारत की खनिज नीति, आर्थिक शासन, सतत् संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण विनियमों का महत्त्व।

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने खनन गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने और उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिये राज्य सरकारों को खनन अपशिष्ट/ओवरबर्डन के डंपिंग के उद्देश्य से मौजूदा खनन पट्टों **में गैर-खनिज क्षेत्रों** को शामिल करने की अनुमति दी है।

- **खान मंत्रालय** ने स्पष्ट किया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपशिष्ट निपटान जैसी सहायक गतिविधियों के लिये गैर-खनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे में शामिल किया जा सकता है।
- **यह व्याख्या खान अधिनियम, 1952** और **खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 57** के अनुरूप है, जो पट्टा क्षेत्र में सहायक क्षेत्रों को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है।

METALS AND MINING

MARKET SIZE

Trend Point: *GVA from mining and quarrying stood at US$ 37.9 billion in FY23, as per the first revised estimates.*

GVA from mining and quarrying (US$ billion)

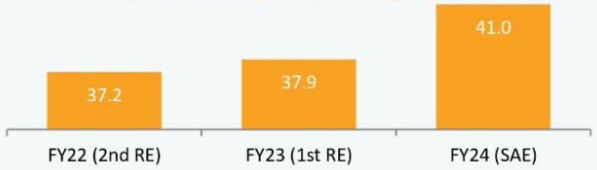

Note: *RE- Revised Estimate, SAE- Advance Estimate ; GVA - Gross Value Added*

SECTOR COMPOSITION

Share of States In Mineral Production (in terms of production value, FY22)

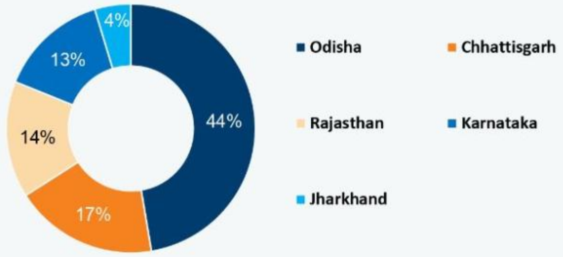

KEY TRENDS

Mineral Production in India (in US$ billion)^

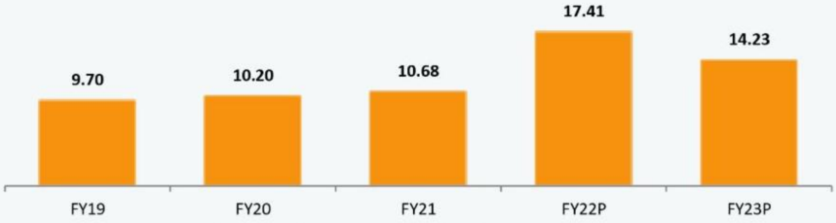

Note: ^Excluding atomic and minor and hydrocarbon energy minerals, P- Provisional

GOVERNMENT INITIATIVES

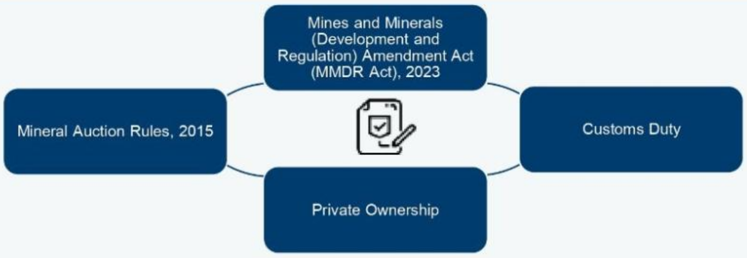
Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act (MMDR Act), 2023
Mineral Auction Rules, 2015
Customs Duty
Private Ownership

ADVANTAGE INDIA

- **Demand growth:** In 2023, the mineral's demand is likely to increase by 3%, driven by expanded electrification and overall economic growth in India. India has set the targets of achieving a total crude steel capacity of 300 million tonnes per annum (MTPA) and total crude steel demand/production of 255 MTPA by 2030-31. The demand of zinc is expected to double in India in the next five to 10 years on the back of huge investments in infrastructure sector, including steel, International Zinc Association
- **Attractive opportunities**: Under the PLI Scheme for Specialty Steel, 57 MoUs with 27 companies have been signed, attracting investments of US$ 3.55 billion (Rs. 29,500 crores), creating an additional capacity of 25 MT and generating employment for 17,000 people by FY 2027-28. As of December 2023, companies have invested US$ 1.55 billion (Rs.12,900 crores), with an expected investment of US$ 360 million (Rs. 3,000 crores) in FY'24. Five units have already commenced production, and nine more are set to begin operations in the last quarter of FY24.
- **Policy support**: In December 2023, the Ministry of Mines proposed capping performance security and upfront amounts for mining critical minerals to attract more bidders. Currently based on a percentage of the Value of Estimated Resources (VER), the move aims to reduce barriers to participation in auctions and expedite the process for mining leases.
- **Competitive advantage**: India holds a fair advantage in cost of production and conversion costs in steel and alumina. India is the 2nd largest Aluminum producer, 3rd largest lime producer and 4th largest iron ore producer in the world.

Copyright © 2024 IBEF. All rights reserved.

खनन और खनिजों के विनियमन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय हैं?

- **केंद्र का प्राथमिक प्राधिकार**: वर्ष 1989 में [illegible] में **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने फैसला सुनाया कि खनन विनियमन मुख्य रूप से **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** और संघ सूची की **प्रविष्टि 54 के माध्यम से केंद्र के प्राधिकार** के अंतर्गत आता है ।
- **करों पर राज्य प्राधिकरण**: [illegible], यह माना गया कि राज्य केवल रॉयल्टी एकत्र कर सकते हैं, अतिरिक्त कर नहीं लगा सकते, क्योंकि रॉयल्टी को करों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - [illegible] में वर्ष 2004 में दिये गए फैसले में इस वर्गीकरण पर सवाल उठाया गया, जिसके कारण नौ न्यायाधीशों द्वारा इसकी समीक्षा की गई।
- **वर्ष 1989 के फैसले को पलटना**: जुलाई, 2024 में न्यायालय ने राज्यों के पक्ष में फैसला सुनाया **(1989 के फैसले को पलट दिया), जिसमें** सूची II (राज्य सूची) की **प्रविष्टि 50** के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार दिया, लेकिन संसद को खनिज विकास में बाधाओं को रोकने के लिये प्रतिबंध लागू करने तक सीमित कर दिया।
  - हालाँकि, कुछ न्यायाधीशों ने चिंता व्यक्त की कि अनियंत्रित राज्य कराधान से खनिज मूल्य निर्धारण और विकास में संघीय एकरूपता बाधित हो सकती है, इसलिये उन्होंने संसद से इसमें स्थिरता लाने के लिये हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामला, 2014: वैध पट्टा क्षेत्रों के बाहर डंपिंग के विरुद्ध

- **बाह्य डंपिंग पर प्रतिबंध**: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पर्यावरणीय और कानूनी उल्लंघनों को रोकने के लिये वैध खनन पट्टों की सीमाओं के बाहर **खनन अपशिष्ट/ओवरबर्डन की डंपिंग** प्रतिबंधित है।
- **गैर-खनिज क्षेत्रों का संरक्षण**: फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **गैर-खनिज क्षेत्रों का उपयोग खनन संबंधी गतिविधियों के लिये नहीं किया जाना चाहिये**, तथा उनका संरक्षण और उचित विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **खनन कानूनों के साथ संरेखण**: न्यायालय के निर्णय ने **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** और संबंधित कानूनों के अनुपालन को सुदृढ़ किया, जो भूमि के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
- **खनन गतिविधियों पर प्रभाव**: खनन कार्यों में पट्टे वाले क्षेत्रों के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल करना आवश्यक था, जिसके कारण नियोजन एवं भूमि आवंटन में परिवर्तन करना पड़ा।

हाल ही में गैर-खनिज क्षेत्रों को शामिल किये जाने के क्या निहितार्थ हैं?

- **सुव्यवस्थित संचालन: खनन पट्टों अथवा खनपिट्टों** में गैर-खनिज क्षेत्रों को शामिल करने से **ओवरबर्डन और अपशिष्ट** का सुरक्षित और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होता है , तथा उद्योग की परिचालन चुनौतियों का समाधान होता है।
  - खनिज प्राप्त करने के लिये हटाए गए चट्टानों, मृदा और सामग्रियों से जनित **ओवरबर्डन का सुरक्षित खनन के दृष्टिगत उचित प्रबंधन किया जाना चाहिये।**
  - **गैर-खनिज क्षेत्रों** (वे क्षेत्र जहाँ महत्त्वपूर्ण खनिज भंडार नहीं हैं) को राज्य सरकारों द्वारा ओवरबर्डन निपटान के लिये आवंटित किया जा सकता है तथा यदि वे समीपस्थ हैं तो उन्हें बिना नीलामी के खनन पट्टों में जोड़ा जा सकता है।
- **2014 के निर्णय के अनुरूप**: यह निर्णय वैध पट्टा क्षेत्रों के बाहर डंपिंग के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के निर्णय के अनुरूप है।
- **भूमि का कुशल उपयोग**: पट्टा क्षेत्रों के भीतर **अपशिष्ट निपटान की अनुमति** देने से गैर-खनिज क्षेत्रों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होता है तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये अलग से नीलामी की आवश्यकता नहीं होती।
- **उद्योग विकास**: परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करना, स्थायी खनिज निष्कर्षण को प्रोत्साहित करना और खनन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना।
  - **राज्य** अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सन्निहित या असम्बद्ध गैर-खनिजीकृत क्षेत्रों का आवंटन कर सकते हैं, यदि इससे खनिज विकास को लाभ मिलता है तथा परिचालन अनुकूल होता है।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा**: राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि गैर-खनिज क्षेत्रों का सत्यापन किया जाए, सीमा निर्धारण के लिये भारतीय खान ब्यूरो (IBM) से परामर्श किया जाए तथा पूरक पट्टों के बारे में IBM को सूचित किया जाए ताकि अवैध खनिज निष्कर्षण को रोका जा सके।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 क्या है?

- **निर्णायक विधान**: इस अधिनियम के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है, जिसका उद्देश्य **उद्योग का विकास, खनिजों का संरक्षण** तथा दोहन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करना है।
- **प्रारंभिक उद्देश्य**: इस अधिनियम का प्रारंभिक उद्देश्य खनन को बढ़ावा देना, संसाधनों का संरक्षण करना और रियायतों को विनियमित करना था।
- **2015 संशोधन**: 2015 में किये गए संशोधन के तहत प्रमुख सुधार पेश किए गए, जिनमें पारदर्शिता के लिये **नीलामी पद्धति,** खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिये ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना, अन्वेषण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) की स्थापना और अवैध खनन के लिये कड़े दंड शामिल है।
- **2021 संशोधन**: कैप्टिव खदानों का संचालन कंपनियों द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये खनिजों का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। कैप्टिव खदानों से निकाले गए खनिज का, अंतिम उपयोग संयंत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का

दृष्टि The Vision

50% तक खुले बाज़ार में वक्रिय कयि जाने की अनुमत दी गई।

- **मर्चेंट खदानों** का संचालन खुले बाज़ार में बक्रिी के लयि खनजिों का उत्पादन करने के लयि कयिा जाता है तथा नष्किर्षति खनजिों को वभिन्नि खरीदारों को बेचा जाता है, जनिमें वे उद्योग भी शामलि हैं जनिके पास अपनी खदानें नहीं हैं।
- **केवल नीलामी रयिायतें:** यह सुनश्चिति कयिा गया कि सभी नजिी क्षेत्र की खनजि रयिायतें नीलामी के माध्यम से दी जाएँ।
- **2023 संशोधन** : **खान और खनजि (वकिास एवं वनियिमन) संशोधन अधनियिम, 2023** का उद्देश्य भारत की आर्थकि वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लयि **महत्तवपूर्ण खनजिों** के अन्वेषण और नष्किर्षण में वृद्धि करना है।
- प्रमुख परविर्तनों में राज्य अभकिरण अन्वेषण के लयि आरक्षति **12 परमाणु खनजिों** की सूची से **छह खनजिों को हटाना** तथा सरकार को महत्त्वपूर्ण खनजिों के लयि वशिष रूप से रयिायतों की नीलामी की अनुमति देना शामलि है।
- **प्रत्यक्ष वदिेशी नविेश** आकर्षति करने तथा अवर खनन कंपनयिों को गभीरस्थ एवं महत्त्वपूर्ण खनजिों की खोज में शामलि करने के लयि **अन्वेषण लाइसेंस** की शुरुआत की गई है।
- संशोधन में **आयात पर नरि्भरता** कम करने और **लथियिम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनयिम और दुर्लभ मृदा तत्त्वों** जैसे आवश्यक खनजिों के खनन में तेज़ी लाने के लयि नजिी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहति करने पर ध्यान केंद्रति कयिा गया, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण और **2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सरजन** की प्रतबिद्धता के अनुरूप है।

?????? ????? ??????:

प्रश्न: भारत के खनन क्षेत्र के वनियिमन में खान और खनजि (वकिास एवं वनियिमन) अधनियिम, 1957 तथा इसके संशोधनों की भूमकिा का मूल्यांकन कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में 'ज़लिा खनजि प्रतष्ठिान (डस्ट्रिक्ट मनिरल फाउंडेशन्स)' का/के उद्देश्य क्या है/ हैं? (2016)

1. खनजि-सम्पन्न ज़लिों में खनजि-खोज संबंधी क्रयिाकलापों को प्रोत्साहति करना
2. खनजि-कार्य से प्रभावति लोगों के हतिों की रक्षा करना
3. राज्य सरकारों को खनजि-खोज के लयि लाइसेंस नरि्गत करने के लयि अधकिृत करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न: प्रश्न. अवैध खनन के परणिाम क्या हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की “गो” और “नो गो” ज़ोन की अवधारणा पर चर्चा कीजयि। **(2013)**